

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्था0/भरतपुर-जोन/2024/ 73

दिनांक:-05-04-2024

आदेश

निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा निम्न अभ्यर्थी को नर्स-2 के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्मिक द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक: ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/2022/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा काल्पनिक लाभ देने के आदेश जारी किये गये थे के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2/नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5		7	8
1.	शकील	सवाईमाधोपुर	07.07.1983	06.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
2.	आसिफ खान	गंगापुर सिटी	05.01.1989	06.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
3.	अशोक सिंह गुर्जर	गंगापुर सिटी	01.07.1991	28.10.2021	-	27.10.2023	28.10.2023
4.	नेमी चन्द महावर	करौली	29.12.1988	08.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

नोट:-क्रम संख्या 1,2 एवं 4 पर अंकित कार्मिकों को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक को निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नकद परिलाभ देय होंगे। उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-05-04-2024

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्था0/भरतपुर-जोन/2024/ 73

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/करौली।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6494331



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.04 11:03:57 IST
Reason: Approved